

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल**

क्रमांक 182 /23/आउशि/अनु.ब./18
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 /09/2018

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 06 के अनुसार)

2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

विषय:- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/कीड़ा अधिकारी/ग्रंथपालों को वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड एवं तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर एरियर्स एवं अन्य भत्तों की राशि आवंटित करने बाबत।



संदर्भ:- म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 73-5/2014/38-3 दिनांक 19/20.03.15 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1401/260/अनु/16 दिनांक 09.08.16

क्र	महाविद्यालय का नाम	महावि. का पत्र क्रमांक /दिनांक	वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	एरियर्स भुगतान हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	चंचलबाई पटेल महावि. जबलपुर	1738/27.5.18	2288492	---	शा0 महाकौशल क./वा. महा. जबलपुर 1803802002	2288492
2	नवयुग कला/वाणिज्य महावि. जबलपुर	835/02.07.18	3316235	---		3316235
3	जी.एस.अर्थ महावि. जबलपुर	105/20.08.18	5681734	---		5681734
	योग					11286461
4	साधु वासवानी महावि. भोपाल	263/11.07.18 694/19.02.18	1160924	1355670	शा0 हमीदिया कला/वाणिज्य महावि. भोपाल 0523802005	2516594
5	श्री सत्यसाई महिला महावि. भोपाल	285/03.07.18	201903	---		201903
	योग					2718497
6	कुसुमबाई जैन कन्या महा. भिण्ड	21/12.07.18 23/12.07.18	10751898	1161159	शा0 एम.जे.एस. महावि0 भिण्ड 0403802001	11913057
7	जैन महा. भिण्ड	67/06.07.18	578754	---		578754
	योग					12491811
8	सर हरीसिंह गौर महावि. सागर	53/16.07.18	11289734	143971	शा0 कला/वाणिज्य महावि. सागर 3303802002	11433705
	योग			---		
9	राजमानु सिंह स्मारक महावि. मनिकवार	667/29.06.18	851217	---	शा0 विज्ञान महावि रीवा 3203802007	851217
10	नेहरू स्मारक महा. चाकघाट	575/17.07.18	2516973	---		अपूर्ण प्रस्ताव
	योग					851217
11	ज्ञानमंदिर महावि. नीमच	28/05.07.18 41/07.08.18	2699622	329865	शास. पीजी महावि. नीमच 2703802001	3029487
	योग					3029487

12	इन्दौर किश्चियन महावि. इन्दौर	103/17.07.18	2927778	---	शास. पीजी कन्या महावि. मोतीतबेला इन्दौर 1713802004	अपूर्ण प्रस्ताव
	योग					2927778
13	महाराजा मानसिंह महावि. ग्वालियर	67/21.06.18	6717610	---	शा0 विज्ञान महा. ग्वालियर 1413802001	6717610
	योग					6717610
14	एस.एस.एल. जैन महावि. विदिशा	532/13.07.18 524/12.07.18	18762824 441900	---	शा0 कन्या महा. विदिशा 4503802001	19204724
	योग					19204724
15	कला एवं वाणिज्य महावि. चौरई	1743/04.08.18 1744/04.08.18	4485928	907312	शा. पीजी महा.	5393240
16	डेनियलसन महावि. छिंदवाड़ा	121/02.08.18	1278800	---	छिन्दवाड़ा 0703802001	1278800
	योग					6672040
	सकल योग					74405552

(सात करोड़, चवालीस लाख, पांच हजार, पांच सौ, बावन मात्र)


- शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
- आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।
- आवंटित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।
- अनुदान प्राप्त अशासकीय संगीत महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले एवं अशैक्षणिक अमले को छठवां गैर यू.जी.सी. वेतनमान में उपरोक्त आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
- उक्त आवंटित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।
- उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं शिक्षा अधिकारी की होगी।
- आवंटित राशि का व्यय, बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0101-42-002 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय आपको **आवंटित राशि 05 कार्यदिवस में** आहरित/भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को ऐरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।
आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।


 (डॉ० सुषमा दुबे)
 अपर संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश


पृ.क्रमांक
प्रतिलिपि :- 1813 / 23 / आउशि / अनु.ब. / 18

भोपाल, दिनांक 14/09/2018

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय / उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(डॉ० सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश